

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

प्रतिवादी-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
102/24	188 RTA	रामपुरिया	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
गोमदीबाई	बनाम	कमल

वकील :-	श्री रामनिवास वैष्णव	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध सदन

31.07.2024 अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.09.2024 को पेश हो।

4.9.24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी 240/ प्रतिवादी के कांड नालिल लक्षण प्राप्त जो 218 कि है। प्रतिवादी कावजूड (सूचना) के न्यायालय में उपरो नहीं है। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते लाहपवाही दिनांक 29.10.24 को पेश हो।

29.10.24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अना लाहप नहीं उपरो नहीं श्री कमल नाहरे श्री पत्रावली कांड लाहप कांडी दिनांक 25.11.24 को पेश हो।

25.11.24 आज पीतारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25.11.24 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

आज पीतारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25.11.24 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

9-12-24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अना लाहप नहीं उपरो नहीं श्री कमल नाहरे श्री पत्रावली कांड लाहप कांडी दिनांक 23.12.24 को पेश हो।

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 6.8.25 को पेश हो।

6/8
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

6.8.25

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 8.9.25 को पेश हो।

8/9
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

8.9.25 पत्रावली पेश हुई। बकील वादी एवं स्वयं वादिया उमर नहीं हैं। न्यायालय के कठ-कठ कर लोन वार भावज पुकरवाई गई। कोई उपर नहीं हुआ। न्यायालय चार्जवाही स्थगित होने तक इंतजार किया गया। पुनर्वच कठक हमारी कठक पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली कैशाल मुनार होकर साखिल इफर हो।